

क्रमांक 3344/21-ब(दो)

प्रति,

भोपाल, दिनांक 1/9/2018

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-धार

विषय:- जिला-धार में नोटरी पदों पर नियुक्ति के संबंध में.

—00—

कृपया उपरोक्त विषयक आपके ज्ञापन क्रमांक/1259/दो-14-4/11, दिनांक 29.5.17 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

राज्य शासन श्री.जयंतीलाल राठौर, श्री.कृष्णपाल सिंह, श्री.राजेन्द्रसिंह देवडा, श्री.अमित तिवारी, श्री.नरेन्द्र सतवास्कर, श्री.गिरीश कु.पुरोहित, श्रीमती कोमल विजयवर्गीय, श्री.विजय कु.खण्डेलवाल, श्री.ऋषि शर्मा, श्री.महेश कु.राठौड़, श्री.तिलो चौधरी, श्री.मुकेश जगताप, श्री.मुन्नालाल देवडा अधिवक्तागणों को नोटरी नियम, 1952 (कं-53 सन 1952) तथा उसके अधीन बनाये गये नोटरीज नियम के अनुसरण में जिला-धार में दिनांक 1.9.2018 से 31.8.2023 तक अर्थात् पाँच वर्ष की कालावधि के लिए नोटरी के रूप में व्यवसाय करने हेतु नियुक्त करता है।

श्री.जयंतीलाल राठौर, श्री.कृष्णपाल सिंह, श्री.राजेन्द्रसिंह देवडा अधिवक्तागण - तहसील-बदनावर तथा श्री.नरेन्द्र सतवास्कर, श्री.गिरीश कु.पुरोहित, श्रीमती कोमल विजयवर्गीय, अधिवक्तागण मुख्यालय-धार एवं श्री.विजय कु.खण्डेलवाल, श्री.ऋषि शर्मा अधिवक्तागण, तहसील-गंधवानी एवं श्री.मुकेश जगताप, श्री.मुन्नालाल देवडा अधिवक्तागण, तहसील-धरमपुरी एवं श्री.महेश कु.राठौड़, अधिवक्ता, तहसील-कुक्षी, श्री.तिलो चौधरी, अधिवक्ता, तहसील-मनावर एवं श्री.अमित तिवारी, अधिवक्ता, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार के नोटरी व्यवसाय संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न है, जिसे उन्हें प्रदान कर अभिस्वीकृति इस विभाग को अभिलेख हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र

(एस.पी.शुक्ल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1/8/2018

पृष्ठांकन क्र. 3344/21-ब(दो)

प्रतिलिपी

1- प्रभारी आई.टी शाखा की ओर सूचनार्थ प्रेषित.

(एस.पी.शुक्ल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

जि

14 5 18
3344/21-ब(दो)

पार्श्व- "ब"

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

स्पीड-पोस्ट

क्रमांक 3755/21-ब(दो)

भोपाल, दिनांक 10/9/2018

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-धार

विषय:- जिला-धार में नोटरी पदों पर नियुक्ति के संबंध में.

—00—

कृपया उपरोक्त विषयक आपके ज्ञापन क्रमांक/1259/दो-14-4/11, दिनांक 29.5.17 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

राज्य शासन श्री.प्रहलाद सागर, अधिवक्ता को नोटरी नियम, 1952 (क-53 सन 1952) तथा उसके अधीन बनाये गये नोटरीज नियम के अनुसरण में जिला-धार में दिनांक 7.9.2018 से 6.9.2023 तक अर्थात् पाँच वर्ष की कालावधि के लिए नोटरी के रूप में व्यवसाय करने हेतु नियुक्त करता है।

श्री.प्रहलाद सागर, अधिवक्ता के जिला-धार के नोटरी व्यवसाय संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न है, जिसे उन्हें प्रदान कर अभिस्वीकृति इस विभाग को अभिलेख हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र

16-9-18
(एस.पी.शुक्ल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10/9/2018

पृष्ठांकन क्र. 3755/21-ब(दो)

प्रतिलिपी

1- प्रभारी आई.टी शाखा की ओर सूचनार्थ प्रेषित.

16-9-18
(एस.पी.शुक्ल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10/9/2018

"परि- (न)"

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

21-ब(दो)

भोपाल, दिनांक 05/10/2018

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-धार


विषय:- जिला-धार में नोटरी पदों पर नियुक्ति के संबंध में.

—00—

कृपया उपरोक्त विषयक आपके ज्ञापन क्रमांक/1259/दो-14-4/11, दिनांक 29.5.17 का अवलोकन करने का कष्ट करें।


राज्य शासन श्री.दिलीपसिंह चौहान, अधिवक्ता को नोटरी नियम, 1952 (कं-53 सन 1952) तथा उसके अधीन बनाये गये नोटरीज नियम के अनुसरण में जिला-धार में दिनांक 3.10.2018 से 2.10.2023 तक अर्थात् पाँच वर्ष की कालावधि के लिए नोटरी के रूप में व्यवसाय करने हेतु नियुक्त करता है।

श्री.दिलीपसिंह चौहान, अधिवक्ता के तहसील-सरदापुर, जिला-धार के नोटरी व्यवसाय संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न है, जिसे उन्हें प्रदान कर अभिस्वीकृति इस विभाग को अभिलेख हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न-नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र


(एस.पी.शुक्ल)

अपर सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

 भोपाल, दिनांक 05/10/2018

पृष्ठांकन क्र. 4267/21-ब(दो)

प्रतिलिपी

1- प्रभारी आई.टी शाखा की ओर सूचनार्थ प्रेषित.


(एस.पी.शुक्ल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

